

NHRC seeks ATR from Kendrapada SP

<https://www.dailypioneer.com/2021/state-editions/nhrc-seeks-atr-from-kendrapada-sp.html>

The National Human Rights Commission (NHRC) sought for an Action Taken Report (ATR) within four weeks from the SP of Kendrapada over a complaint lodged on January 11 before NHRC alleging that RTI activist Amitabh Chand was allegedly under life threat from a family as he exposed corruption.

Acting on the complaint filed by RTI activist Akhand of Pipili area, the NHRC passed the order. The complainant alleged that the victim RTI activist Amitabh Chand had exposed corruption through RTI. He exposed that about four persons of a family have got Government jobs by submitting false caste certificates to the authorities.

This case is being inquired by Revenue and police authorities and there are chances that these people may harm the RTI activist as they have been exposed.

Therefore, these family members are making conspiracy to attack and kill Amitabh Chand by engaging supari killer. In this regard, a written complaint dated on January 2 was sent to Jamboo Marine police station in Kendrapada district to take appropriate action and to ensure safety and security of the whistle blower. The complainant requested the Commission to take cognizance in the matter and to take necessary steps for safety and security of this HRD and his family members.

Acting on the petition, the NHRC directed the SP of Kendrapada to enquire the allegations and submit an action taken report in the matter within four weeks. Even, it was directed by the NHRC to ensure safety, security and integrity of the RTI activist Chand and his family members.

NHRC directs Odisha Chief Secy to act on 'Rakta Tirtha Eram' issue

<https://www.aninews.in/news/national/general-news/nhrc-directs-odisha-chief-secy-to-act-on-rakta-tirtha-eram-issue20210331131942>

The National Human Rights Commission (NHRC) on Wednesday directed the chief secretary of the Odisha government to ensure proper implementation of the schemes and guidelines for the descendants of the martyrs and freedom fighters and to ensure the peripheral development of 'Rakta Tirtha Eram' in Bhadrak district of the state, better known as the 'Second Jallianwala Bagh of India'. The NHRC recently passed the order after expressing serious displeasure against the Odisha government time and again on a six-year pending case filed by human rights activist and Supreme Court lawyer Radhakanta Tripathy. In 2014, the NHRC had asked the Chief Secretary of Odisha to submit an ATR over the issue. Later on, the Ministry of Home Affairs had also taken cognisance of an application submitted by Tripathy for ensuring tourist tag to Eram and doing the needful for making 'Eram', a place of national importance. Since then the issue is making rounds in the bureaucratic juggernauts, he said. Nothing substantial has been done for the protection and promotion of 'Eram', considered as Second Jallianwala Bagh of India, Tripathy said. On September 28, 1942, at least 28 persons were killed on the spot and 56 injured by the British forces. The plight of the descendants of the martyrs and freedom fighters including Pari Bewa, the first Lady Martyre of Odisha needs special attention of the government, Tripathy contended. A first of its kind, a centre named as 'Freedom Fighters Interpretation Center' (in India) going to be established at Rakta Tirtha Eram, is under construction and will be completed by December 31 this year, the Odisha Tourism Development Corporation (OTDC) and Bhadrak district administration informed the National Human Rights Commission (NHRC). So far as the plight of the family members of the martyrs and freedom fighters are concerned, the Block Development Officer (BDO) has been asked to make enquiry and submit a detailed report on each one of the descendants, Tripathy said.

पुलिस हिरासत में सरकारी कर्मचारी की मौत पर बवाल, थानेदार सस्पेंड, न्यायिक जांच का आदेश

<https://www.livehindustan.com/bihar/story-government-employee-died-in-police-custody-in-bhagalpur-station-officer-suspended-judicial-inquiry-ordered-3945927.html>

बिहार के भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र के मायागंज के रहने वाले सरकारी कर्मी संजय कुमार यादव (44) की बरारी पुलिस की हिरासत में मौत हो गयी। सोमवार को दोपहर में मायागंज में हुई मारपीट की घटना में पूछताछ के लिए रात लगभग 10 बजे संजय को पुलिस ने हिरासत में लिया था और रात 11 बजे उसकी मौत हो गयी। मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने 12 घंटे तक बरारी थाना को घेरे रखा। मंगलवार की सुबह लगभग 11 बजे लोग थाना से हटे। संजय कुमार बांका जिले के कटोरिया में लघु सिंचाई विभाग में बड़ा बाबू के पद पर कार्यरत थे। घटना के बाद एसएसपी निताशा गुड़िया ने बरारी थानाध्यक्ष प्रमोद साह को लापरवाही के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। घटना की न्यायिक जांच भी शुरू करा दी गयी है।

परिजनों का आरोप, पुलिस की पिटाई से हुई मौत

संजय यादव की मौत के बाद उसके परिजन और स्थानीय लोग आक्रोशित हो गये और बरारी थाना पहुंचकर घेराव किया एवं पुलिस और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। संजय के परिजनों ने बताया कि वे शाम में घर से निकलकर कुछ लोगों से मिलने गये थे। रात लगभग 10 बजे जब वे बाइक से लौटे तो पुलिस ने उन्हें घर से उठा लिया और गले में गमछा लगाकर उसे घसीटते और पीटते हुए थाना ले गये। थाना में उनकी तबियत बिगड़ी, जिसके बाद पुलिस उन्हें अस्पताल ले गयी जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजनों का कहना है कि थाना से अस्पताल ले जाने के क्रम में ही उनकी हालत खराब दिख रही थी जो पिटाई से हुई थी। सोमवार की रात संजय का शव साथ लेकर उग्र लोगों ने थाना के पास विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया।

घटना की न्यायिक जांच शुरू, मेडिकल बोर्ड ने किया पोस्टमार्टम

पुलिस हिरासत में सरकारी कर्मी संजय यादव की मौत की न्यायिक जांच शुरू करा दी गयी है। एसएसपी निताशा गुड़िया ने न्यायिक जांच कराने के लिए डीएम सुब्रत सेन को लिखा था, जिसके बाद डीएम ने जिला जज को लिखा। जिला जज ने न्यायिक पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति जांच के लिए कर दी। मेडिकल बोर्ड द्वारा संजय के शव का पोस्टमार्टम किया गया मेडिकल बोर्ड की टीम में डॉ. संदीप लाल, डॉ. विभूति और डॉ. जयंत शामिल थे। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी

कराई गयी। जांच के लिए प्रतिनियुक्त न्यायिक पदाधिकारी पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे और शव के पोस्टमार्टम का जायजा लेकर लौटे।

सीसीटीवी में थाना परिसर में पिटाई के साक्ष्य नहीं

संजय यादव के साथ बरारी थाना में मारपीट किये जाने की पुष्टि सीसीटीवीफुटेज में नहीं हुआ है। 12 मिनट 44सेकेंड का फुटेज थाना में लगे सीसीटीवी से निकाला गया है। संजय यादव को थाना लाये जाने से पहले से लेकर उसे अस्पताल ले जाये जाने तक का फुटेज है। सीसीटीवी में दिख रहा है कि थाना लाये जाने के बाद संजय यादव थाना परिसर में कुर्सी पर बैठे हैं। कुछ देर बाद वे कुर्सी से उठते हैं और बगल हटते हैं जिसके बाद ऐसा दिख रहा है कि वे उल्टी करने की कोशिश कर रहे हैं पर उल्टी कर नहीं सके। इसके बाद वे फिर जाकर बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद वे बेचैन दिखने लगते हैं और टी-शर्ट खोल लेते हैं। उसके बाद वे सिरिस्ता में आकर बैठते हैं और अपनी परेशानी के बारे में पुलिसवालों को बताते हैं। इसके बाद पुलिस उन्हें इलाज के लिए अस्पताल लेकर चली जाती है।

मायागंज में मारपीट की घटना के बाद पूछताछ के लिए संजय यादव को बरारी थाना लाया गया था। वहां उनकी तबियत बिगड़ी, जिसके बाद इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गयी। इस मामले में बरारीथानाध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया गया है और घटना की न्यायिक जांच भी कराई जा रही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशानिर्देश के अनुसार पूरी कार्रवाई की जा रही है।

Muthanga case: KK Surendran's 17-year battle for legal recognition of illegal custody, torture

<https://caravanmagazine.in/news/kk-surendrans-seventeen-year-battle-for-legal-recognition-of-illegal-custody-torture-muthanga-case>

KK Surendran's 17-year-long battle demanding compensation for illegal detention and custodial torture came to a successful end on 12 January. That day, a sub court in Kerala's Wayanad district ordered the state government to pay the retired lecturer Rs 5 lakh. A member of the Dalit community, Surendran was supporting an Adivasis-led land-rights movement in Wayanad's Muthanga village in early 2003. In February that year, the police began a brutal crackdown to quell the movement. As a part of this, officials of the SulthanBathery police station arrested him and beat him in custody on 22 February, leaving him with partial loss in hearing.

The January 2021 judgment acknowledged Surendran's suffering and stated that his arrest "without reasonable and probable cause was humiliating." The court noted that P Viswambaran and V Devaraj—the then sub-inspector and circle inspector of the SulthanBathery Police Station—"physically and mentally tortured" him in custody. While Surendran had asked for a compensation of Rs 15 lakh, the court only granted him Rs 5 lakh—the state government could decide whether it would pay this amount on its own or get it reimbursed from the guilty officials. But Surendran was satisfied with the judgment. "Its importance lies in the legal recognition of the fact that the police used brute force against me," he told me.

Surendran's torture was among the many cases that showed the heavy costs of Adivasi assertion during the Muthanga land-rights movement. That February, the police was accused of firing at protesters, conducting arbitrary arrests, brutal manhandling and even molestation of women. More than 15 years later, Adivasis in the district continued to struggle for land. But with the January 2021 order, Surendran's case has seen some sort of closure. "I am not judging it by its economic value," he told me while recounting his legal battle. "Even if the amount was one rupee, it would not have mattered to me."

The Muthanga struggle—as it came to be called—was among the most prominent Adivasis-led land-rights movements in Kerala. An Economic and Political Weekly paper on the struggle, published in May 2003, charted the history of landlessness among Adivasis in Kerala. "Around 30 per cent of the tribal households in the state are landless," the paper mentioned. "The proportion of landless tribal households is highest in the Malabar area, with the districts of Wayanad and Palakkad taking the lead," the paper noted.

According to several scholars and activists, the much-admired land reforms introduced by the Communist Party of India (Marxist) government in the 1950s and the Kerala Private Forests (Vesting and Assignment) Act, 1971 failed to benefit the state's landless Adivasi population. Communities from other regions displaced the Adivasis in Wayanad, leading to a series of movements demanding land rights. "They began to settle in the periphery of Wayanad's forests, by the rivers and poramboke land," MK Ramadas, a journalist who had covered the Muthanga protest extensively for the Malayalam news

channel Asianet, said. Poramboke land refers to land which is not assessed to revenue records. Ramadas said, "That is how the tribes became landless." The Kerala Scheduled Tribes (Regulation of Transfer of Land and Restoration of Alienated Land) Act of 1975 provided for the restoration of land to Schedule Tribes and prohibited the transfer of land which belonged to them. However, successive governments failed to implement this.

The seeds for the Muthanga struggle were sown in 2001, when the Adivasi GothraMaha Sabha, a group seeking land rights for Adivasis, protested outside the state secretariat in Thiruvananthapuram for 48 days. The AGMS's president, CK Janu, and its coordinator at the time, M Geethanandan, spearheaded the protests. Ramadas opined that the rising awareness among Adivasis about their rights was a cause of nervousness for political parties. "That is why CK Janu was an opponent to all of them. They feared that they would lose their hold on the people of the lowest strata, who were so far used to draw water and cut wood for them," he told me. The protest forced AK Antony, the chief minister at the time, to commit to the distribution of cultivable land among the state's landless Adivasis between 1 January 2002 and 31 December 2002.

When the Antony government failed to honour his commitment, landless Adivasis of Wayanad, led by AGMS, set up hutments in the forests of Muthanga to assert their right to land ownership. The AGMS said that the forest was the homeland of different Adivasi communities in Wayanad. Moreover, the AGMS held that several Adivasi families had been forcibly evicted from Muthanga during the 1970s and 1980s.

After the forestland was occupied on 4 January 2003, Ramadas regularly reported on it from the ground. "No one thought that the protest would reach a point of violence," he told me. "They believed that the issue would be resolved and that they would be invited for talks again. But the then minister of forest, K Sudhakaran, opposed this movement. Political parties created false narratives about it," he told me. Ramadas added that the movement had been labelled as a parallel government in the state.

A fire developed in the area on 17 February. The protestors blamed forest officials for the arson and held them hostage. "A photographer and a group of forest officials who went to the protest site were held hostage. They were released on the 18th after discussions with the collector," Ramadas told me. He added that this eventually "deteriorated the equation between the tribal protesters and the general public."

The situation came to a head on 19 February when the police fired at the protest site. "There was a posse of 1,000 people including police and forest officials which entered the forests," Ramadas said. "The tribals exerted their full force to retaliate, using their agricultural tools." An Adivasi man, Jogi, and a police constable, Vinod KV, died in the violence that day.

Ramadas told me that the following four or five days saw brutal violence against Wayanad's Adivasis. "Even old people of the Paniyar community who had ventured out to buy medicines were tortured and thrown into police vehicles," he recalled. "It was a

declaration of war against them by the public in tandem with the police.” He added that there was a sympathy wave in favour of the police. Surendran also said that the police used cruel measures against the protesters, most of whom were members of landless tribes in Wayanad, including the Paniyar, Madiyar, Kattunayakar and Oorali communities. “The police went on terrorising raids to their colonies to catch all those who were present at the protest besides Janu and Geethanandan,” he told me. Along with mass arrests and police excesses, reports of missing children and even deportation of 37 children to the central jail in Kannur district also surfaced.

The police also appeared to be on the hunt for those who had expressed solidarity with the movement—Surendran was a lecturer at the central government-run District Institute of Education and Training in SulthanBathery at the time. “I was not there in Wayanad on the day of the Muthanga incident. I had gone to Thiruvananthapuram to attend a programme of our service union,” he told me. “But I supported the cause, the protest and those who organised the protest.” His support for the Muthanga struggle was no secret. “I had helped with a press release in favour of the protest,” he said. Surendran had visited the protest site a couple of times—as any local had at that time—and also contributed to a signature campaign backing the movement. However, he said, his participation was limited as he was also a staff of a government institute.

Surendran explained why he supported the movement. “I was brought up in a village”—in Wayanad—“surrounded by various tribal communities,” he said. “I am well aware of the social inequalities suffered by the Dalit people. The Adivasi people’s experience a far more severe form of such inequalities. So, I have always felt a sense of fraternity with them.” Surendran added that when he was a lecturer, he helped children from the Adivasi community with their education.

The police arrested Surendran from the staff room at DIET where he had arrived as usual for the day’s work on 22 February. “There was no interrogation at all,” he said, before adding that he was not told why he was being arrested. “They began torturing me straight away. It continued from morning till night.” He said that apart from Vishwambaran and Devaraj, four police officials—CM Mathai, E Vasanth Kumar, KR Raghunathan and Varghese—also participated in the violence. (But the January 2021 judgment did not attribute any liability to the latter four saying that they came under the hierarchical control of Vishwambaran and Devaraj.) “They kicked me on my back. They also hit me on my ears,” Surendran told me. “They stomped on my backside with boots. I bore eight–ten kicks on various parts of my body simultaneously,” he recalled.

VC Raveendran, the doctor who later examined Surendran, observed perforation and conductive hearing loss in his left ear. Surendran said that despite undergoing various kinds of treatment, including Ayurveda and allopathy, the pain persisted till date. “Often, when people speak to me in a low voice on my left-hand side, I cannot hear them properly,” he told me in January.

Sometime during the day-long torture, Surendran realised that the police was associating him with the 19 February incident. "When the police officers were beating me, I pled that I had nothing to do with the protest, that I did not participate in it," he said. He told me one of the officials addressed him with a slur and said, "Then how come, you son of a dash, your name was found in Geethanandan's diary?" Surendran told me that he had once met Geethanandan to discuss the issue of Adivasi children dropping out of schools and offered to make enquiries about the possibility of arranging for some marginalised students to appear for exams. After this, Surendran said, Geethanandan had noted his number using a pen with green ink—he believed that his name may have stood out in the diary because it was written in a different colour.

Geethanandan and Janu had surrendered to the police the same day Surendran was arrested. While Surendran had previously known Geethanandan, he said he had not met Janu until they were both in custody. Surendran said that Janu had also been tortured. "Janu was in a terrible state after she was tortured," he told me. "A police official pointed at me and asked Janu if she knows me. Janu looked at me. She really did not know me at that time. When she replied that she does not recognise me, the male police officers started hitting her on her face while they accused her of lying."

Despite being grievously injured, Surendran said he only received medical treatment after spending 13 days in custody. On 23 February, Surendran was produced before the magistrate. The January 2021 order mentioned that the magistrate noted that Surendran "complained of pain over his body" and directed the jail superintendent to give him necessary medical aid. But Surendran said even then he did not receive any treatment. "I was sent to the central jail in Kannur district," he told me. His wife, Baby Usha, then filed a petition before the Kerala High Court stating that he required immediate medical attention. Upon the court's directions, he was shifted to the Pariyaram Medical College in Kannur district on 7 March. He was released on bail on 30 March that year.

Meanwhile, accusations of police excesses propped the National Human Rights Commission to seek reports from the chief secretary of the government of Kerala and from the director general of Kerala police on 24 February 2003. In their responses, the government and the DGP justified the police action by alleging that the protesters had violated the law and were responsible for the killing of a police official. A press release published on the NHRC website stated, "The Commission was at a loss to understand as to how the chief secretary and the DGP could conclude without holding any independent inquiry, that not only was the police action justified but that no departmental proceedings against any police/forest official had been called for. The Commission thus held that, prima-facie, it was not satisfied with the reports."

The NHRC recommended that an independent agency take over the investigation. Within a few months, the Central Bureau of Investigation took over the investigation and dropped Surendran's name from the list of accused. According to Surendran, the CBI also gave the government permission to reinstate him at DIET. However, he was denied

his previous posting in Wayanad and was transferred to Kottayam instead. Surendran said he had to move the high court to reverse the transfer.

While Surendran got his job back, getting justice was a longer and more arduous task. In his legal journey to bring the police officials to account, a huge role was played by KC Eldho, an Ernakulam-based advocate who practises in the Kerala High Court. Surendran told me, "I have not paid him even the clerical expenses till date. I will never be able to forget him. He was the real force behind my successful legal battle."

After Surendran's arrest, multiple people approached Eldho to represent him. Eldho fought the case that Baby Usha had filed regarding his medical treatment. "According to right to life guaranteed under Article 21 of the Constitution, he is entitled to certain benefits and amenities even as a prisoner," he told me. "So, I filed a writ petition before the high court from this angle of right to life."

Eldho said when he apprised the judge about Surendran's condition, the court directed an ENT specialist to examine him in jail and submit a report. "The ENT reported that his condition is very bad and that if he is not treated immediately, he will lose his hearing permanently," Eldho said. "The doctor's report was faxed to me through the fax number of the court's bar association. As soon as I received it, I went straight to the court even though the case was not listed that day. Since the judge, CN Ramachandran Nair, was a good man and since this was a do or die game, I submitted this in the middle of other cases." According to Eldho, the judge immediately ordered that he should be admitted to Pariyaram Medical College, but it took another week of procedural formalities to shift Surendran from the central jail to the hospital. "It was because of the court intervention that we could admit him to a hospital and prevent a situation where he would have lost his hearing," Eldho said.

After Surendran got bail and rejoined DIET, he met Eldho to discuss filing a case against the SulthanBathery police officials. "He first filed a criminal petition. He also parallelly filed a civil appeal. I had helped with drafting both," Eldho said. He could not appear as Surendran's advocate in either of the petitions in the SulthanBathery sub-court due to his commitments at the high court. But Eldho regularly offered legal advice to Surendran.

The January 2021 order was the outcome of the civil petition that Surendran had filed before the SulthanBathery sub-court in March 2004. He demanded compensation of Rs 15 lakh from the accused officials and the government of Kerala for a list of reasons, including lowering his reputation and medical expenses. "Plaintiff has lost amenities in life, which he was enjoying earlier, which has to be compensated by the defendants," the petition stated. As an example, it mentioned, "The plaintiff used to read various types of books. But due to the injuries sustained in police harassment, he is suffering constant headache especially while reading."

Eldho had recommended that Surendran file an indigent original petition—a form of lawsuit for those who do not have the means to pay for case proceedings. "I had to pay

a court fee of around Rs 1,40,000. At that time, I earned barely Rs 10,000 per month,” Surendran said. Eldho explained that permitting a petitioner to apply as an indigent involves a lengthy process of evaluation to establish financial incapacity. Surendran told me that these procedures alone took several years, only for the indigent petition to be rejected by the SulthanBathery sub-court around 2011 or 2012. “The court asked me to pay the court fees or to withdraw the case,” he said. According to Eldho, the police strongly opposed the indigent petition and got it dismissed. “I challenged this order in the high court which allowed the petition to proceed further,” he said.

While the cases were ongoing, Eldho said a fortunate piece of evidence surfaced. “When this incident was happening”—Surendran’s arrest—“a man stood on top of a building and captured the scenes at the police station on his video camera. He had just recorded some visuals after seeing the huge gathering there,” Eldho told me. He said that after reports of the arrest appeared in the papers, the man who shot the video gave the recording to Surendran. “You can clearly see the circle inspector punch Surendran in the stomach,” Eldho said. “He was following a method where he aimed to hit him with his right hand while punching him on the stomach with his left hand. The impact of the punch threw him off by three–four metres. It was inhuman.”

According to Eldho, the criminal case appeared to be going against the accused policemen when the Kerala High Court quashed it on 10 November 2010. Viswambharan had filed an appeal in the Kerala High Court citing a violation of section 197 (2) of the Code of Criminal Procedure in the case against him. The section states, “No Court shall take cognizance of any offence alleged to have been committed by any member of the Armed Forces of the Union while acting or purporting to act in the discharge of his official duty, except with the previous sanction of the Central Government.”

The civil case, however, continued and finally closed with the January 2021 judgment. Eldho told me, “It is a good judgement. It suggests that the judiciary still offers a sense of justice, even if delayed.”

Surendran told me his memories of police excesses date back to his childhood in Wayanad in the thick of the Emergency years. “Karunakaran, one of my teachers was arrested by the police on the allegation that he had Naxalite connections,” he said. “Other teachers like Civic Chandran and Poulouse Master were also arrested. Supporting any political ideology is a democratic right. But all those who were arrested then were accused of extremist links, tortured in custody and were kept in prison for years. They came out of jail as living corpses.” Surendran said that what happened during the police action after the Muthanga struggle was no different. “The police and the government perceived the Muthanga protest as a Naxalite rebellion. That is the way they handled it,” he told me.

Ramadas’s account of the police’s handling of the protest supported this assertion. “The police were trying to create an impression that the movement was not led by Adivasis

on their own," he said. "There are limits to clamping down on an Adivasi movement. So, it had to be linked to extremism, foreign funding, Christian backing and so on."

He told me that the police, and even sections of the media, saw him as a supporter of the Adivasi cause. "There was a narrative that I was a mastermind," he said. After news of Surendran's arrest surfaced, Ramadas said he intended to go to the SulthanBathery police station, but his friends dissuaded him. "I was named as an accused in several cases filed against CK Janu including in connection to the killing of the police officer," Ramadas said. He told me he went into hiding for around three months until he secured anticipatory bail. "After securing anticipatory bail, I came out of hiding and was interrogated for several days by the investigating agencies," Ramadas told me.

Just like in Surendran's case, Ramadas said his name was removed from the list of accused after the CBI took over the investigation. However, he said his name still appears in the case files related to the Muthanga incident. The Kerala Union of Working Journalists had demanded withdrawal of the cases against media persons in light of the Muthanga incident in 2003 itself, but Ramadas said that the management at Asianet, where he worked at the time, did not support him. "I was completely isolated," he said.

Surendran told me he felt that Ramadas was named as an accused only because Asianet covered the protests well. Towards the end of my conversation with him, he remarked that harassment and wrongful arrests of politically vocal individuals continue in Kerala. The judgment in his case also commented on such arrests. "Unnecessary arrest by police would cause irreparable hardship to the arrestee," the court noted. "Such arrests are highly oppressive, humiliating and intolerable in all manner. An unnecessary arrest would create great impact. If arrest made by a police officer cannot be lawfully justified, he has no right to say that what he has done was part of his official duty."

गलतजेंडरपहचान, यौनहिंसाऔर उत्पीड़न: भारतीय जेलों में ट्रांसजेंडर होने की नियति

<http://thewirehindi.com/164174/misgendering-sexual-violence-harassment-what-it-is-to-be-a-transgender-person-in-an-indian-prison/>

ए-4 आकार की एक नोटबुक नागपुर सेंट्रल जेल में किरण गवली द्वारा गुजारे गए 17 महीनों की गवाही देती है. किरण बगैर नागा किए हर दिन थोड़ा समय निकालकर दिन भर की घटनाओं का ब्यौरा लिखा करती थीं- नई बनाई गई दोस्तियों, वेदना, अकेलेपन और कभी -कभी दिल टूटने के बारे में.

किसी-किसी दिन शब्द कविता की तरह बहकर आया करते थे, दूसरे दिनों में सिर्फ गुस्से से भरी कच्ची-पक्की पंक्तियां. किरण-ए-दास्तां शीर्षक से लिखी गई डायरी की हर पंक्ति और पन्ने पर शब्द उकेरे हुए हैं. हालांकि बहुत ही समझदारी से लिखी गई इस डायरी के कुछ पन्ने गायब हैं- मानो किसी ने गुस्से में उसे फाड़कर अलग कर दिया हो.

किरण बताती हैं, 'जेल बाबा (जैसा कि कॉन्स्टेबलों को जेल की शब्दावली में आम तौर पर पुकारा जाता है) या वॉर्डन (दोषसिद्ध कैदियों के) हर सुबह उसकी कोठरी में आया करते थे और उससे उसने अपनी निजी डायरी में जो लिखा है, पढ़कर सुनाने के लिए कहते थे. मेरे अवसाद की कहानियां उन्हें सस्ता रोमांच दिया करती थीं. वे इसे जोर-जोर से पढ़कर सुनाते थे और हर बार मेरे और मेरे शरीर का मजाक बनाया करते थे. और जाने से पहले उनके धतकर्मों का वर्णन करनेवाले पन्ने फाड़ दिये जाते थे.'

2,000 पुरुष कैदियों के बीच कैद सिर्फ 5ट्रांसजेंडर कैदियों में से एक होने के खतरे के बारे में किरण को पता था. किरण झिझक के साथ कहती हैं, 'विरोध करने का सिर्फ एक मतलब होता- रेप.' वे आगे कहती हैं, 'इसका मतलब यह नहीं है कि उस पर हमला नहीं किया जाता. लेकिन शांत रहने ने शारीरिक नुकसान को जरूर थोड़ा कम कर दिया.'

लेकिन वह जेल की सामान्य नीरस दिनचर्या के वर्णनों के भीतर डरावनी कहानियों का एक हिस्सा पैबस्त करने में कामयाब रही. एक गहरे पैराग्राफ के बीच डाल दी गई एक पंक्ति- जिसमें यह बताया गया था कि कैसे जेल कर्मचारी, दोषसिद्ध कैदी और विचाराधीन (अंडरट्रायल)- हर कोई बिना अंतर के नियमित तौर पर उस पर मानसिक और यौन हमले किया करते थे.

किरण ने कई दोषसिद्ध और अंडरट्रायल कैदियों और कर्मचारियों- सभी जन्म से मिली लैंगिक पहचान रखने वाले (सिसजेंडर) पुरुषों- पर उनके और उनके साथ गिरफ्तार की गई ट्रांसजेंडर महिलाओं के यौन शोषण और बलात्कार का आरोप लगाया है.

किरण बताती हैं कि जेल में अपने 17 महीने के प्रवास में उन्होंने कम से कम पांच-छह शिकायती चिट्ठियां सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रखे शिकायत बक्से में डाली होंगी, जिसे खोलने और बंद करने का अधिकार सिर्फ दौरा करनेवाले मजिस्ट्रेट के पास होने का प्रावधान है.

इसी तरह की शिकायतें जेल अधीक्षक को भी की गईं. लेकिन न तो जेल अधिकारी और न ही न्यायपालिका उनका बचाव करने के लिए आई.

पिछले साल मार्च में लॉकडाउन लगाए जाने और जेल मुलाकातों को बिना किसी सूचना के अचानक रोक देने से कोर्ट में याचिका देना या वकील को सूचना देना मुश्किल हो गया.

किरण पूछती हैं, 'जितनी बार भी हम अपनी शिकायत लेकर जाते और महिलाओं वाले अनुभाग में हमें स्थानांतरित करने की मांग करते, जेल प्रमुख हमसे जेल नियमों में ऐसा कोई प्रावधान न होने का हवाला देते. लेकिन आखिर किस नियम के तहत हमें पुरुषों की जेल में ठूस दिया गया और हर दिन हमारा यौन शोषण किया जाता था?'

किरण को उनके गुरु उत्तम सपन सेनापति के साथ 4 जून, 2019 को इलाके में एक जघन्य हत्या के बाद गिरफ्तार किया गया था. पुलिस ने 11 लोगों को- जिनमें से किरण और उत्तम समेत पांच ट्रांस महिलाएं थीं- इस मामले में आरोपित किया था.

हालांकि किरण कहती हैं कि उन्हें झूठे तरीके से फंसाया जा रहा था. सभी आरोपितों को कुछ दिनों के भीतर गिरफ्तार करके उन पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के तहत हत्या का आरोप लगाया गया था.

2020 में अदालतों ने उन्हें जमानत देना शुरू कर दिया, लेकिन मुख्य आरोपी होने के कारण उत्तम की जमानत याचिका को कई बार खारिज किया गया. वे आज तक पुरुष बैरक में बंद हैं. अन्यो को जमानत चरणों में मिली- कुछ को जिला न्यायालय द्वारा और और कुछ को बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ द्वारा इस शर्त पर कि रिहाई के बाद वे कोर्ट द्वारा बुलाए जाने के अतिरिक्त नागपुर नगरपालिका की सीमा में दाखिल नहीं होंगे.

किरण और उनकी सहयोगी डॉलीकाम्बले- जो एक ट्रांस महिला हैं और इस मामले में सह-आरोपी हैं' से मेरी मुलाकात नागपुर में किरण के घर पर हुई, जब वे कोर्ट में अपनी निर्धारित सुनवाई के लिए आई हुई थीं.

जब दोनों अपनी कहानियां सुना रही थीं, उस दौरान स्थानीय पुलिस द्वारा परेशान किए जाने के डर के कारण परिवार का एक सदस्य लगातार निगरानी में घर के बाहर खड़ा था. किरण का कट्टर आंबेडकरवादी परिवार उनका सबसे बड़ा सहारा रहा है, लेकिन 29 साल की अनाथ डॉली को किसी तरह का सामाजिक सहयोग उपलब्ध नहीं है.

जमानत की शर्तें उनके लिए मुश्किलें खड़ी करने वाली थीं. ट्रांस महिलाओं के लिए, जो बधाई और मंगती की परंपरागत व्यवस्था पर गुजारा करती हैं, उन्हें उससे अलग किए जाने का अर्थ सिर्फ आजीविका गंवाना नहीं बल्कि उन्हें शारीरिक तौर पर जोखिम में डालना भी था.

डॉली स्वीकार करती हैं कि हमले और सार्वजनिक अपमान एक सामान्य अनुभव रहे हैं, लेकिन इससे पहले तक उन्हें दोस्तों पर निर्भर रहना पड़ता था या जीवित रहने के लिए सेक्स वर्क करना पड़ता था.

डॉली कहती हैं, 'ज्यादातर घराने हमें अपने साथ सिर्फ इसलिए नहीं लेते हैं, क्योंकि हम पर हत्या का आरोप है.' वे बताती हैं कि अन्य आरोपित ट्रांस महिलाओं को भी मुश्किलों से संघर्ष करना पड़ रहा है.

किरण बताती हैं कि 40 साल के उनके जीवन में आपराधिक न्याय प्रणाली के साथ उनका यह पहला सामना था. 'मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है. बॉलीवुड पुलिस को एक खास क्रूर तरीके से चित्रित करता है. लेकिन सक्करदारा और बार्दी पुलिस स्टेशन, दोनों ही जगह मेरा प्रवास ठीक-ठाक था. हमारे साथ कम से कम इंसानों से जैसा बर्ताव किया गया. लेकिन पांच दिन बाद- 9 जून, 2019 को- को नागपुर सेंट्रल जेल में दाखिल होने के साथ हमारा सामना यथार्थ से हुआ.'

किरण ने यह मान लिया था कि किसी अन्य महिला कैदी की तरह उन्हें भी महिलाओं की जेल में ले जाया जाएगा. लेकिन इसकी जगह उन सभी को नागपुर सेंट्रल जेल के बड़े हिस्से में ठूस दिया गया, जो सिर्फ पुरुषों के लिए है. महिलाओं का अनुभाग उसी परिसर में था, लेकिन उन्हें वहां जाने की सुविधा नहीं दी गई.

वे कड़वाहट के साथ पूछती हैं, 'यह मेरे लिए बड़ा सदमा था. उन्होंने यह सोच भी कैसे लिया कि एक स्त्री पुरुषों की जेल में सही से रह पाएगी? उन्होंने हमसे हमारी प्राथमिकता क्यों नहीं पूछी कि क्या हम महिला कैदियों के साथ रहना पसंद करेंगी?'

किरण का सवाल हवा-हवाई नहीं है. भारतीय अदालतों ने बार-बार यह कहा है कि ट्रांसजेंडर लोग अपनी शर्तों पर, अनिवार्य हस्तक्षेप या भेदभाव के बिना, सरकार से मान्यता के हकदार हैं.

2014 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने नेशनल लीगल अथॉरिटी (नालसा) बनाम भारत सरकार वाले वाद में अपने ऐतिहासिक फैसले में व्यक्ति के जेंडर आत्म निर्णय (सेल्फडिटरमिनेशन) के अधिकार के सवाल का निर्धारण किया था.

यह फैसला सुनाते हुए कि ट्रांसजेंडरों को थर्ड जेंडर के तौर पर मान्यता और सभी मौलिक अधिकार मिलने चाहिए, जस्टिसराधाकृष्णन ने बेंच की तरफ से लिखा, 'ट्रांसजेंडर व्यक्ति के स्वयं चिह्नित जेंडर के निर्णय के अधिकार को भी स्वीकार किया जाता है और केंद्र और राज्य सरकारों को पुरुष, स्त्री या थर्ड जेंडर के तौर पर उनकी जेंडर पहचान को कानूनी मान्यता देने का निर्देश दिया जाता है.'

2018 में नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत सरकार मामले के फैसले में यौनिकता (सेक्सुअलिटी) को नागरिकता के अभिन्न हिस्से के तौर पर स्वीकार करते हुए कहा, 'व्यक्तिगत स्वायत्तता और स्वतंत्रता, किसी भी तरह के भेदभाव के बिना सबकी समानता, मानव की गरिमा और निजता के साथ अस्तित्व की मान्यता का व्यापक आदर्श हमारे महान संविधान के चार बुनियादी स्तंभ हैं जो हमारे मौलिक अधिकार की ठोस नींव का निर्माण करते हैं, जिससे आज भी हमारे समाज के कुछ वर्ग वंचित हैं, जो आज भी सामाजिक नियमों, पूर्वाग्रहपूर्ण धारणाओं, घिसी-पिटी छवियों, संकीर्ण मानसिकता और धर्मांध धारणाओं के बंधनों में जकड़े हुए हैं.'

व्यक्तिगत स्वायत्तता पर खास बल देनेवाले इन निष्कर्षों की पुष्टि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट दोनों ने ही कई अन्य फैसलों में की. इन फैसलों के कारण स्त्री समलैंगिक, पुरुष समलैंगिक, उभयलिंगी (बाइसेक्शुअल), ट्रांसजेंडर, अंतरलिंगी (इंटरसेक्स) (एलजीबीटीआई+) समुदायों के अधिकारों के इर्द-गिर्द चर्चाएं हुईं और एकराय से इन्हें समावेशी और प्रगतिशील बताते हुए इनकी तारीफ हुई.

इन फैसलों ने ट्रांसजेंडर समुदाय की गरिमा को स्थापित किया और उन्हें थर्ड जेंडर (तीसरे लिंग) का दर्जा प्रदान किया, ऐतिहासिक तौर पर जिनका अपराधीकरण करके हाशिये पर धकेल दिया गया था और जिन्हें विशेष सुरक्षा की जरूरत थी.

लेकिन न्यायिक हस्तक्षेपों का अभी जमीनी स्तर पर कोई खास असर दिखना बाकी है. किरण कहती हैं कि जब उन्हें नागपुर जेल ले जाया गया, तो बड़ी जेल के के ठीक प्रवेश द्वार पर ही उनकी शारीरिक गरिमा भंग करने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी.

उन्होंने बताया, 'हम जैसे ही जेल के भीतर दाखिल हुए दो पुरुष कॉन्स्टेबलों ने कपड़े उतारने के लिए कहा. हमें भेड़ की तरह झुंड में इकट्ठा कर दिया गया. (हमसे) हमारा नाम, जाति, हमारा पेशा पूछा गया और उसके बाद हमें कपड़े उतारने के लिए कहा गया.'

बंदियों ने एक स्वर में ऐसा करने से इनकार कर दिया. 'कुछ भी हो जाए, मैं किसी पुरुष को खुद को निर्वस्त्र करने की इजाजत देने वाली नहीं थी.'

किरण कहती हैं. उस समय नागपुर सेंट्रल जेल में तैनात में महिला कारा अधीक्षक रानी भोंसले उनका बचाव करने आई थीं. भोंसले ने महिला जेल गार्डों को जांच के काम को पूरा करने के लिए कहा था. 'लेकिन उन सबने कहा कि वे हमसे 'डरी' हुई हैं.

किरण याद करती हैं, 'भोंसले को महिला गार्डों को उनकी ड्यूटी निभाने के लिए ऊंची आवाज में कहना पड़ा था.' इसके बाद उन्हें एक कतार में अपने हाथ और पांव पूरी तरह से खोलकर खड़ा कराया गया था. गार्डों ने उन्हें कई बार उकड़ू बैठने के लिए कहा और उन्हें बॉडीकैविटीसर्च (शरीर के अंदरूनी हिस्सों की तलाशी) के लिए मजबूर किया गया.

किरण कहती हैं, 'उस समय मैंने वास्तव में यह समझा कि राज्य को अपना शरीर सौंप देने का क्या अर्थ होता है.'

जेल में ट्रांस महिलाओं को ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, स्कैबीज और एचआईवी जैसे संक्रामक बीमारियों से ग्रस्त कैदियों के लिए निर्धारित अलग वार्ड में रखा गया था. यहां के कैदी और इसलिए बैरक भी पूरी तरह से अलग-थलग रहते हैं.

किरण कहती हैं कि किसी न किसी बीमारी से संक्रमित होने के स्थायी डर में रहा करती थीं.

एक बार जब उत्तम गंभीर रूप से बीमार पड़ीं, उस समय उनसे कथित तौर पर कपड़े उतारकर यह दिखाने के लिए कहा गया कि उनके पेट का ठीक कौन-सा हिस्सा दर्द कर रहा है. जब दो अन्य को हॉर्मोनरिप्लेसमेंटथिरैपी की तत्काल जरूरत थी, तब इसकी इजाजत देने से साफ इनकार कर दिया गया.

उनमें से एक ने गिरफ्तारी के कुछ महीने पहले ही स्तनवर्धक सर्जरी (ब्रेस्टऑग्मेंटेशन सर्जरी) कराई थी और उनके सिलिकॉनइम्प्लांट में संक्रमण हो गया था. लेकिन जेल के डॉक्टर ने बगैर समुचित जांच किए, उसे सिर्फ दर्दनिवारक गोलियां दे दीं.

किरण का कहना है कि उनके साथ वास्तव में जो व्यवहार किया गया, उसके उलट जेल प्रशासन का यह मानना है कि उनके चलने-फिरने और उनकी पहुंच को सीमित करके वास्तव में उन पर 'खास ध्यान' दिया गया. उन्हें ज्यादातर समय एक छोटे से कमरे में बंद करके रखा जाता था और किसी पुरुष कैदी से बात करने पर उन्हें फटकार लगाई जाती थी- और यह सब 'सुरक्षा' के नाम पर किया जाता था. लेकिन जब बात नहाने-धोने की आती थी, उन्हें यह काम खुले में करने के लिए मजबूर किया जाता था.

किरण कहती हैं, 'हम किसी तरह खुद को पूरे दिन बचाकर रखते थे, लेकिन नहाने के समय में महासंग्राम छिड़ जाता था. हम बस अपनी रक्षा करने के लिए कई दिन बगैर नहाए रहे.'

डॉली कहती है कि यहां का अनुभव 'बयान से परे' है. अन्य विचाराधीन कैदियों के विपरीत, सभी बंदी ट्रांस महिलाओं को सामान्य कपड़े पहनने के उनके अधिकार से वंचित रखा गया था और उन्हें डोरीदार सफेद कमीज और सफेद निकर पहनने के लिए मजबूर किया गया था.

'यहां तक कि हमें अंडरगारमेंट्स भी नहीं दिए गए थे,' डॉली कहती है. किसी भी ट्रांस महिला को जेल में कभी-कभी कराए जाने वाले खास आयोजनों में भाग नहीं लेने दिया जाता था.

किरण, डॉली और दो अन्य ट्रांस महिलाओं के कष्टों का अंत उन्हें जमानत मिलने के साथ हो गया. लेकिन उत्तम की तकलीफों का अंत नहीं हुआ है. जमानत हासिल करने में नाकाम रही उत्तम ने महिला जेल में स्थानांतरित किए जाने की बार-बार मांग की है.

उत्तम की चिट्ठी. (फोटो: सुकन्याशांता/द वायर)

उत्तम की चिट्ठी. (फोटो: सुकन्याशांता/द वायर)

उन्होंने एक बार अपनी तकलीफों को बयां करते हुए और उनके साथ बुरा बर्ताव कर रहे हर व्यक्ति का नाम लेते हुए एक लंबी चिट्ठी लिखी थी. उनके वकील कैलाश वाघमारे बताते हैं कि यह चिट्ठी जेल अधिकारियों के हाथों में पड़ गई और उन्होंने इसके टुकड़े-टुकड़े कर दिए.

पिछले साल अक्टूबर में एक दूसरी चिट्ठी, जो पहली चिट्ठी का काट-छांट किया हुआ रूप था, और जिसमें व्यक्तियों की जिम्मेदारी नहीं तय की गई थी, आखिरकार वाघमारे को दी गई. इस चिट्ठी में उत्तम ने न्यायपालिका से हस्तक्षेप करने और जेल में उसके साथ हो रहे खराब बर्ताव को खत्म कराने की गुहार लगाई है.

पिछले डेढ़ सालों में उसके और दूसरी ट्रांस महिलाओं के साथ हुई यौन हिंसा का ब्यौरा देने से पहले उन्होंने अपनी चिट्ठी में पूछा है, 'आदरणीय जज महोदय, क्या जेल में ट्रांस महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने के लिए कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है? क्या हमें पुरुष कैदियों के साथ सिर्फ जेल अधिकारियों तथा अन्य कैदियों की काम-वासना को बुझाने के लिए रखा जाता है?'

वाघमारे बताते हैं, 'यह चिट्ठी उत्तम के जान को भीषण जोखिम में डालते हुए लिखी गई. उसने नामों का उल्लेख नहीं किया है, लेकिन अगर कोई जांच बैठाई जाती है, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि जेल अधिकारियों के साथ-साथ उसके साथी कैदी भी उसका शोषण कर रहे हैं.'

वे बताते हैं कि जैसे ही यह चिट्ठी उन्हें मिली, वे तुरंत न्यायिक हस्तक्षेप की उम्मीद से कोर्ट के पास गए. 'लेकिन कोर्ट ने अभी तक इस पर प्रतिक्रिया नहीं दी है.'

असमान न्याय और अपंग विधिक सहायता

किरण और उनके दोस्त एक तरह से भाग्यशाली थे कि उनका पक्ष एक वकील, वह भी एक सक्षम वकील ने रखा. ट्रांसजेंडरों को जेल में हमलों और प्रताड़ना का शिकार होने के साथ-साथ काफी कमजोर कानूनी प्रतिनिधित्व से भी काम चलाना पड़ता है. किसी तरह की कानूनी मदद पहुंचने से पहले ट्रांसजेंडरों का कई सालों तक जेल में सड़ते रहना, एक आम बात है.

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 ए में समाज के गरीब और कमजोर तबके के लोगों को मुफ्त विधिक सहायता प्रदान करने की व्यवस्था करने की बात की गई है; अनुच्छेद 14 और 22(1) राज्य पर कानून के समक्ष सबकी समानता और सभी को बराबर मौके के आधार पर न्याय को बढ़ावा देने वाली न्यायिक व्यवस्था सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी डालता है.

लेकिन दिल्ली को छोड़कर अन्य सभी 28 राज्य और 7 केंद्रशासित प्रदेश ट्रांसजेंडर समुदाय को विधिक सहायता की जरूरत को स्वीकार करने में नाकाम रहे हैं.

नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार दिल्ली ने विधिक सहायता के लिए तीन अलग-अलग वर्गों को परिभाषित किया है. ट्रांसजेंडर समुदाय

और वरिष्ठ नागरिकों के लिए अधिकतम आय की सीमा 2 लाख रुपये यानी करीब 2,700 अमेरिकी डॉलर है, बाकियों के लिए इस सीमा को एक लाख रुपये पर रखा गया है.

नवंबर, 2019 से ट्रायल पूर्व पुरुष बंदियों की ठाणे सेंट्रल जेल में बंद 32 वर्षीय रेणुका* के लिए कानूनी तौर पर प्रतिनिधित्व दिए जाने का उसका संवैधानिक अधिकार दूर की कौड़ी था. उन पर यौन अपराधों से बच्चों की रक्षा (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मामला बनाया गया था, जब उनकी एक शिष्य (ट्रांस महिला) एक सिसजेंडर (जन्म से चिह्नित लिंग के अनुसार लैंगिक व्यवहार वाले) वयस्क पुरुष से प्रेम करने लगीं.

चूंकि पॉक्सो 18 साल से कम उम्र के सभी व्यक्तियों के सभी यौन व्यवहारों का अपराधीकरण करता है, इसलिए एक बाल अधिकार संगठन को इस मामले को पुलिस में रिपोर्ट करने पर मजबूर होना पड़ा. आखिर रेणुका और नाबालिग के प्रेमी, दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया गया.

रेणुका के खिलाफ कोई सबूत न मिलने के बावजूद और सिर्फ इस बिना पर कि वह नाबालिग और उसके पार्टनर के बीच यौन संपर्क के दौरान मौजूद थी, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया. उस नाबालिग ने भी दोनों के खिलाफ गवाही देने से इनकार कर दिया.

उस व्यक्ति ने अपने लिए वकील का इंतजाम कर लिया और गिरफ्तारी के कुछ महीने के भीतर ही जमानत पर जेल से छूटने में सफल हो गया, लेकिन रेणुका अब भी जेल में बंद है. उनके परिवार का गुजारा मुश्किल से हो रहा है और पिछले साल राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन ने उनकी स्थिति और खराब कर दी है.

उन्होंने राज्य से विधिक सहायता की गुहार लगाई थी और यहां तक कि हस्तक्षेप करने के लिए कुछ एनजीओ से भी संपर्क किया था. लेकिन उन्हें कहीं से मदद नहीं मिली.

उनकी मां बताती हैं, 'रेणुका को एक अलग कोठरी में बंद करके रखा गया है और उसे तभी कोई साथी मिलता है जब किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल लाया जाता है.' लॉकडाउन से पहले दो बार उसके परिवार ने उससे मुलाकात की थी, लेकिन उसके अलावा पिछले 14 महीनों में उससे मिलने एक भी व्यक्ति नहीं आया. कोर्ट के सामने पेशी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराई जाती है.

उनकी मां कहती है, 'ज्यादातर समय उसे अकेले उसकी गंदी और अंधेरी छोटी कोठरी में अकेले छोड़ दिया जाता था. जून में उसके पिता के गुजर जाने के बाद उसे एकांत कैद में रखना

खासतौर पर चिंताजनक था. वह हमसे बार-बार कहा करती थी कि वह अकेली और तकलीफ में है और गलत ख्यालों से जूझ रही है.'

रेणुका एचआईवी पॉजिटिव है और उसे खास भोजन और दवाइयों की दैनिक खुराक की जरूरत है. उनकी मां का कहना है कि जितनी बार भी रेणुका घर में फोन करती है, वह खराब खाने और बीमार पड़ने पर उन्हें अस्पताल ले जाने से जेल प्रशासन के निरंतर इनकार की शिकायत करती हैं. उसके छोटे भाई का कहना है, 'उसका सीडी4काउंट पहले से ही कम था. हमें इस बात की जानकारी नहीं है कि वह जेल में नियमित तौर पर एंटीरेट्रोवाइरलथैरेपी (एआरटी) ले पा रही है या नहीं.'

इस रिपोर्ट के लिए सुचनाएं जुटाने के दौरान द वायर को उनके लिए बिना किसी शुल्क के (प्रो बोनो) उनका केस लेने के लिए एक वकील को खोजने में कामयाबी मिली. उनकी गिरफ्तारी के 14 महीने बाद जाकर उनकी जमानत याचिका दायर की जा सकी. इस पर सुनवाई का इंतजार है.

'जेल वह जगह है जहां वास्तव में आपको ट्रांस होने का एहसास कराया जाता है' यौन शोषण के अनुभव सिर्फ पुरुष कारागारों तक ही सीमित नहीं हैं. कई अपरंपरागत लैंगिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों, जिन्हें महिलाओं के लिए निर्धारित जेलों में डाल दिया गया था, ने भीषण यौन शोषण और जेंडर हीनता बोध का अनुभव किया.

पिछले साल जुलाई में, बिहार में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के संगठन जन जागरण शक्ति संगठन के साथ काम करनेवाले सामाजिक कार्यकर्ता और ट्रांस पुरुष 31 वर्षीय तन्मय निवेदिता एक अजीब मामले में जेल में बंद कर दिए गए.

वे और उनकी सहकर्मी कल्याणी एक 22 वर्षीय गेंगरेपपीड़िता खुशी* का मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज करवाने के लिए अररिया जिला आए थे. मजिस्ट्रेट के रवैये से असहज महसूस कर रही खुशी ने अपने बयान पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया और इस बात का आग्रह किया कि पूरी प्रक्रिया के दौरान दोनों सामाजिक कार्यकर्ताओं को उनके साथ रहने की इजाजत दी जाए.

मजिस्ट्रेट को यह बात नागवार गुजरी और उन्होंने इन तीनों पर कोर्ट की अवमानना का आरोप लगाकर उन्हें जेल भेज दिया. खुशी मदद और न्याय की उम्मीद करते हुए काफी आशा लेकर मजिस्ट्रेट के पास आई थी, लेकिन पांच मिनट के भीतर कोर्ट ने उसे और उसके दो शुभचिंतकों को अपराधियों में तब्दील कर दिया.

खुशी ने दो एक सप्ताह जेल में बिताया; बाकी दो 25 दिनों के बाद ही रिहा किए गए. इन तीनों को अररिया से 250 किलोमीटर दूर समस्तीपुर जिले में दलसिंह सराय क्वारंटीन कैदखाने के स्त्री अनुभाग में बंद किया गया था.

जेल में बिताए गए अपने समय को याद करते हुए तन्मय कहते हैं, 'जेल में बिताए गए हर क्षण ने व्यवस्था की के पूरे नकारेपन और असंवेदनशीलता को उजागर कर दिया.'

उन्हें पहले गैरकानूनी ढंग से एक स्थानीय पुलिस स्टेशन एक दिन से ज्यादा हिरासत में रखा गया और एक दूसरे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया. चूंकि वह रविवार का दिन था और कोविड-19 के चलते राज्य में लॉकडाउन लगा हुआ था, अपने घर की खिड़की के शीशे पर खड़े होकर मजिस्ट्रेट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया.

तन्मय कहते हैं, 'खिड़की के पर्दे और लोहे की ग्रिल के पीछे छिपे एक व्यक्ति ने हमें जेल भेजने का फरमान सुना दिया. हमें नीचे भूतल (ग्राउंडफ्लोर) पर रखा गया था और हमें उनकी आवाज भी बेहद मुश्किल से सुनाई दे रही थी.'

वैसे तो इस अचानक घटे घटनाक्रम ने तीनों सकते में आ गए थे, लेकिन जेल के बारे में सोचकर तन्मय खासतौर पर चिंतित हो उठे थे. वे बताते हैं, 'जेल में प्रवेश के दौरान शुरुआती तलाशी के दौरान हर जगह को छुआ और पकड़ा गया.'

तन्मय बताते हैं कि जेल एक ऐसी जगह है जहां व्यक्ति को उसकी 'ट्रांस पहचान' के बारे में गहराई से महसूस कराया जाता है. बंद कमरे में तलाशी लिए जाने की उनकी मांग को बेजवह के नखरे के तौर पर देखा गया. 'मुझे बार-बार कहा गया, 'हम सब महिलाएं ही हैं. इसमें क्या बड़ी बात है.'

'मुझे उन्हें यह लगातार बतलाना पड़ा कि हम सब महिलाएं नहीं हैं. हमें यहां पर सिर्फ भेजा गया है.' जब उन्होंने अपनी जेंडर पहचान पर जोर दिया, तब जेल के गार्ड ने उससे कहा, 'उसके जैसा एक और आदमी जेल में है.'

केरल में पले-बढ़े तन्मय जिन्होंने पांच साल से ज्यादा समय बिहार में बिताया है, राज्य में अभी तक किसी दूसरे ट्रांस पुरुष से नहीं मिले हैं.

‘मुझे वे बाकी जगहों को छोड़कर जेल में ही मिलने थे,’ और यह कहते हुए तन्मय हंस पड़ते हैं, ‘एक और ट्रांस पुरुष, जो मुजफ्फरपुर जिले के रहने वाले थे और जिन पर एक नाबालिग के साथ संबंध में होने का आरोप था, एक महीने से ज्यादा समय से पहले ही जेल में थे. वास्तव में हम उनसे संपर्क करने और कानूनी हस्तक्षेप के उपायों की तलाश ही कर रहे थे और एक महीने बाद मैं उसी जेल में था जहां मुझे उससे सीधे मुलाकात करने का मौका मिल रहा था.’

तन्मय कहते हैं कि जेल में सही जेंडर की पहचान न हो पाना आम था और उससे उसकी पहचान को लेकर उत्सुकता से भरे सवाल पूछे जाते थे और यहां तक कि उसकी सहमति के बगैर उसे छुआ जाता था.

वे कहते हैं, ‘जेल में पहली बार दाखिल होने वाला हर नया गार्ड मेरे जेंडर के बारे में जानना चाहता था. हो सकता है कि इसमें शारीरिक तौर पर छूना शामिल न हो, लेकिन फिर भी यह शरीर के बारे में ही था.’

इस तरह घूरकर देखा जाना जारी रहा, लेकिन तन्मय ने जेल में कुछ यादगार दोस्त भी बनाए. वे कहते हैं कि खुशी उनकी सबसे बड़ी पैरोकार थी.

वे कहते हैं, ‘मैं मजिस्ट्रेट के पास उसे सहारा देने के लिए गया था, लेकिन यहां जेल में वह मेरी सहायता और मेरा बचाव कर रही थी.’ इसी तरह से हर बार उसकी गलत जेंडर पहचान किए जाने पर जेल की अन्य महिलाओं ने उनका बचाव करना और जेल कर्मचारियों समेत हर किसी को दुरुस्त करना शुरू कर दिया था, यह देखना दिल को काफी दिलासा देने वाला था कि कैसे औरतें मेरी शारीरिक गरिमा रक्षा करने के लिए अपनी सुरक्षा खतरे में डाल रही थीं.’

तन्मय कहते हैं कि उनकी उच्च जाति और अंग्रेजी शिक्षा ने उन्हें अपेक्षाकृत सुरक्षित रखा. यह हाशिये के समुदाय से ताल्लुक रखने वाले कई अन्य ट्रांसजेंडर लोगों की स्थिति नहीं थी, जो नियमित तौर पर भारतीय आपराधिक न्यायिक प्रणाली के संपर्क में आते हैं.

जेलों के समन्वित आंकड़े रखनेवाला एकमात्र सरकारी संगठन भारतीय क्राइमरिकॉर्डब्यूरो का कहना है कि भारतीय जेलें सभी धर्मों के दलितों, आदिवासियों और अन्य पिछड़ा वर्गों से भरी हुई हैं. ट्रांसजेंडर समुदायों के मामलों में भी हिरासत में रखे गए लोगों में एक बड़ी संख्या दलित, आदिवासी और ओबीसी जाति अस्मिता वाले हैं.

दिल्ली की वकील और भारतीय जाति-व्यवस्था की मुखर आलोचक दिशा वाडेकर को लगता है कि ट्रांसजेंडर समुदायों के प्रति सरकार के रवैये की जड़ें प्रतिगामी जाति व्यवस्था में धंसी हुई हैं.

वे बुरे बर्ताव के सिरे की खोज उपनिवेशवादी काल से करती हैं, जब आपराधिक जनजाति अधिनियम (क्रिमिनलट्राइब्सएक्ट), 1871 के तहत कई घुमंतू समुदायों के साथ-साथ ट्रांसजेंडरसमुदाय का भी अपराधीकरण कर दिया गया था. हालांकि उस अधिनियम को रद्द कर दिया गया है लेकिन यह आज भी इस समुदाय का अपराधीकरण कर रहा है.

वे कहती हैं, 'ब्राह्मणवादी राजसत्ता ने लंबे समय से आधुनिक न्याय व्यवस्था का इस्तेमाल 'अपवित्र व्यक्तियों' से निपटने के लिए एक प्रभावी औजार के तौर पर किया है, जिसे वह 'पवित्र उच्च जाति सिसजेंडर (जन्म से चिह्नित लैंगिक आचरण वाले) पुरुष शरीर' की अपनी धारणा के हिसाब से अनुपयुक्त मानता है.'

उनका कहना है, 'पवित्रता के विचार का निर्धारण सिर्फ व्यक्ति के जेंडर से नहीं, बल्कि उसकी जाति से भी होता है. इस पृष्ठभूमि में जेल में बंद ट्रांसजेंडर समुदाय में सबसे ज्यादा हाशिये की जाति वालों को पाना आश्चर्यजनक नहीं होना चाहिए.'

सरकार की प्रतिक्रिया

भारतीय न्यायपालिका समय-समय पर कैदियों के अधिकारों को लेकर चिंता पर विचार करती रही है. लेकिन यह सामान्य तौर पर ही किया जाता रहा है और एलजीबीटीक्यूआई+ समुदाय, खासकर ट्रांसजेंडर लोगों की विशिष्ट चिंताओं पर बहुत कम ध्यान दिया गया है.

ट्रांस अधिकार कार्यकर्ताओं के विरोध के बावजूद भारतीय संसद ने ट्रांसजेंडरपर्सन्सप्रोटेक्शन (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स) एक्ट को नवंबर, 2019 में पारित कर दिया.

यह अधिनियम कोर्ट के आदेशों और संवैधानिक अधिकारों का साफ-साफ उल्लंघन है और कानूनी जेंडर मान्यता को अनिवार्य करता है और व्यक्ति से उनके निवास के जिले के जिलाधीश से 'ट्रांसजेंडर प्रमाणपत्र' के लिए आवेदन करने की शर्त लगाता है.

इस लिहाज से अगर कोई ट्रांसजेंडर व्यक्ति जेल में जिलाधीश के प्रमाणपत्र के बगैर जेल में दाखिल होता है, तो वह अपने जननांग के आधार पर 'मान्यता मिलने' और प्रमाणपत्र दिए जाने के लिए जेल के अधिकारियों और डॉक्टरों की कृपा का मोहताज होता है.

2018 में भारत की 1,382 जेलों की अमानवीय परिस्थितियों के मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जेलों में व्याप्त विभिन्न समस्याओं की जांच करने के लिए जेल सुधार पर एक समिति का गठन किया था.

इस समिति का नेतृत्व सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड न्यायाधीश अमिताव राय और आईजी, ब्यूरो ऑफ एंड डेवलपमेंट तथा डीजी (प्रिजन्स) , तिहाड़ जेल इसके अन्य सदस्य हैं. अपने गठन के बाद से समिति ने भीड़-भाड़ से लेकर दोषियों को कानूनी सलाह की कमी से लेकर छूट और पैरोल जैसे विभिन्न विषयों को समेटते हुए दो विस्तृत रिपोर्ट सौंपी है.

लेकिन ट्रांसजेंडर समुदाय की चिंताओं को बिल्कुल ही छोड़ दिया गया है.

1995 से एनसीआरबी हर साल वार्षिक जेल आंकड़े (प्रिजनस्टैटिस्टिक्स) का प्रकाशन कर रहा है. लेकिन इसके लिए आंकड़े स्त्री-पुरुष बाइनरी के संकीर्ण चश्मे से एकत्र किए गए हैं और ट्रांसजेंडर समुदाय को आंकड़े से बाहर रखा गया है.

बिल्कुल हाल में जाकर केंद्र सरकार ने इस डेटा की सीमा को स्वीकार किया है और दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष दायर एक चाचिका के जवाब में कोर्ट को यह सूचना दी है कि अब से एनसीआरबी के प्रिजन आंकड़े में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को एक अलग जेंडर के तौर पर शामिल किया जाएगा.

लेकिन रिपोर्ट में यह डेटा शामिल करने के लिए यह जरूरी है कि ऐसा डेटा पहले स्थानीय पुलिस थानों और राज्यों के स्तरों तैयार किया जाए.

सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत दायर किए गए अनेक आवेदनों के आधार एकत्र किए गए डेटा के आधार पर कॉमनवेल्थह्यूमनराइट्सइनिशिएटिव (सीएचआरआई) नामक एक गैर सरकारी संगठन ने हाल ही में लॉस्ट आइडेंटिटी: ट्रांसजेंडरपर्सन्सइनसाइड इंडियन प्रिजन्स' शीर्षक से एक विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की.

इस अध्ययन में यह पाया गया है कि जेलों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों संबंधित डेटा को दर्ज करने के तरीके में कोई एकरूपता नहीं है. संगठन के प्रश्नों का जवाब देने वाले राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों में से सिर्फ नौ- आंध्र प्रदेश, गोवा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, दादरा नगर हवेली तथा पुदुचेरी- ने यह कहा है कि ट्रांसजेंडर बंदियों संबंधित डेटा को पुरुष एवं महिलाओं के डेटा से अलग दर्ज किया जा रहा है.

इसके अतिरिक्त, गुजरात, झारखंड, केरल, महारष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल जिन्होंने अलग से डेटा दर्ज करने की कोशिश की, उनमें राज्य के भीतर ही विभिन्न जेलों में इसकी प्रक्रिया में कोई एकरूपता नहीं थी.

अपनी अपूर्णता के बावजूद इकट्ठा किए गए आंकड़े यह दिखाते हैं कि मई, 2018 से अप्रैल, 2019 के बीच कम से कम 216 ट्रांसजेंडर व्यक्ति विभिन्न जेलों में बंद थे। इनमें उत्तर प्रदेश तथा तेलंगाना में क्रमशः 47 तथा 40 के साथ ट्रांसजेंडर कैदियों की सर्वाधिक संख्या दर्ज की गई।

सीएचआरआई के साथ बतौर प्रोजेक्टऑफिसर और रिसर्च टीम के एक हिस्से के तौर पर काम कर रहे साईबोरोथू आगे के सरकारी और अकादमिक विचार-विमर्श के लिए इस आंकड़े को आधार बनाने के खतरों की ओर इशारा करते हैं।

बोरोथू कहते हैं, 'हमारा शोध इस डेटा को एकत्र करने संबंधी समस्याओं की ओर साफतौर पर इशारा करता है। सबसे पहली बात तो यह है कि बहुत कम राज्य हैं जो यह आंकड़ा रख भी रहे हैं। और वह भी व्यक्ति के स्व-निर्णय के अधिकार को नजरअंदाज करते हुए अव्यवस्थित तरीके से किया जा रहा है।'

भारतीय कानून निर्माताओं ने अंतरराष्ट्रीय मानकों या श्रेष्ठ प्रचलनों- जिनमें संयुक्त राष्ट्र की अनेक एजेंसियों या योग्याकार्टा सिद्धांत और योग्याकार्टा सिद्धांत प्लस10 शामिल है, जो खासतौर पर व्यक्तियों के खिलाफ उनके वास्तविक या कल्पित यौन प्रवृत्ति के कारण किए जाने वाले मानवाधिकार हनन की ओर खास तौर पर ध्यान देता है- के प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाया है

केरल जैसे कुछ राज्यों ने नए कारागारों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए अलग ब्लॉकों का निर्माण करने का फैसला किया है। यह सही है कि एक अलग जेल समुदाय के खिलाफ होनेवाली यौन या किसी भी दूसरी तरह की हिंसा की संभावना को काफी कम कर देंगी, लेकिन यह उनसे चुनने के उनके अधिकार को भी छीन लेंगी।

बोरोथू को लगता है कि अलग जेलों के साथ-साथ आखिरकार अपनी जेंडर पहचान का निर्णय करने और क्या वे जेल के अन्य लोगों से अलग रहना चाहते हैं, का फैसला बंदी ट्रांसजेंडर लोगों पर ही छोड़ देना चाहिए। उन्हें यह भी लगता है कि अलग-थलग करने का मसला इतना आसान नहीं है।

उदाहरण के लिए, खासतौर पर स्त्रीवादी तथा स्त्री आंदोलन में जब भी जेंडरीकृत पृथक्करण का मसला सामने आता है, आंदोलन के कई लोगों ने सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पृथकीकृत स्थान की पैरोकारी की है।

बौरोथू कहते हैं, 'उस खांचे के भीतर भी बाकी चीजों के अलावा ट्रांसजेंडर समुदाय को एक खतरे के तौर पर देखा जाता है, ऐसे लोगों के तौर पर जिनसे रक्षा किया जाना जरूरी है.'

दांडिक प्रणाली में ट्रांस समुदाय के इर्दगिर्द बहस-मुबाहिसा अभी भी नया है और बौरोथू का कहना है कि अभी कई और चिंताओं का समाधान किया जाना बचा हुआ है.

पिछले सालों में, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल और दिल्ली जैसे राज्यों जैसे राज्यों ने नीति बनाने के लिए तैयार होने का प्रदर्शन किया है, लेकिन वे भी पूरी तरह से सामुदायिक सलाह-मशविरे के लिए तैयार नहीं हैं.

कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हिरासत में एलजीबीटीक्यूआई+ के अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक विस्तृत दिशानिर्देश जारी किया था. इस आदेश में राज्यों से खासतौर पर यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि जेलों में ट्रांसजेंडर या इंटरसेक्स लोगों के साथ कोई भेदभाव न हो या उनका शोषण न किया जाए.

यह आदेश पिछले साल अक्टूबर में दिया गया और कर्नाटक जैसे सिर्फ कुछ राज्यों ने विभिन्न जेलों को इस संबंध में सर्कुलर भेजा है.

द एकेडमी ऑफ प्रिजन्स एंड करेक्शनलएडमिनिस्ट्रेशन इन वेल्लोर, ने नेशनल इंस्टीट्यूटी ऑफ सोशलडिफेंस के साथ साझेदारी में हाल ही में जेलों में संरचनात्मक बदलावों की शुरुआत करने के लिए विस्तृत सलाह-मशविरा किया था.

एकेडमी में प्रोफेसर और वरिष्ठ फैकल्टीबेलुआइमैनुएल यह बात स्वीकार करते हैं कि इस समुदाय की लंबी समय से उपेक्षा हुई है और हिरासत में रखे गए ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के साथ व्यवहार करने के लिए किसी भी राज्य के जेल प्रशासन के पास ऐसा कोई कोई मानक ऑपरेटिंग प्रक्रिया नहीं है जिसका अनुसरण किया जाए.

'हमारे पास विभिन्न स्थितियों और चिंताओं के मद्देनजर अनुसरण कियेजानेवाले ट्रेनिंग मॉड्यूल हैं, लेकिन (ट्रांसजेंडर) समुदाय इन विचार विमर्शों से बाहर रहा है, 'इमैनुएल कहते हैं, 'समुदायों के अधिकारों और जरूरतों के प्रति जेल कर्मचारियों को शिक्षित करने और उन्हें संवेदनशील बनाने के लिए हम एक मॉड्यूल तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं.'

लेकिन तब तक किरण और उत्तम जैसे कई ट्रांसजेंडर लोगों को बगैर किसी राहत के जेल प्रणाली की निर्दयता का सामना करते रहेंगे.

US State Department pulls up India for human rights abuses

<https://www.tribuneindia.com/news/nation/us-state-department-pulls-up-india-for-human-rights-abuses-232585>

Despite government efforts to address abuses, a lack of accountability for official misconduct persisted at all levels, contributing to widespread impunity, said a US State Department country report on human rights practices in India.

Investigations and prosecutions of individual cases took place, but lax enforcement, a shortage of trained police officers, and an overburdened and under-resourced court system contributed to a low number of convictions, it said.

The report identified the significant human rights issues as unlawful and arbitrary killings; torture, arbitrary arrest and detention; restrictions on freedom of expression and the press, site blocking, excessive curbs on NGOs and widespread corruption.

The State Department's cyclical March-end report usually pulls up India for several alleged acts of omission on the human rights front. Governments in Delhi, regardless of political colour, have been hostile to overseas bodies judging India's human rights quotient. For instance, the report quoted the UN Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances as listing seven cases. This US body has not been allowed access into India by the UPA and NDA governments since 2010.

But of late the US State Department has been noting the spread of issues such as unjustified arrests, censorship, and restrictions to mainland India.

But the report also noted that separatist insurgents and terrorists in J&K, the Northeast, and Maoist-affected areas committed serious abuses, including killings and torture of armed forces personnel and recruitment and use of child soldiers.

The report noted that the government continued taking steps to restore normalcy in J&K by gradually lifting some security and communications restrictions, releasing most political activists and partially restoring internet access.

The government also began a process to redraw electoral constituencies but did not announce a timeline for local assembly elections.

The US State Department report is based on reports from the media and Indian and international organisations associated with human rights, including the National Human Rights Commission.

On the slow pace of the judicial process, the report noted that formal charges have yet to be filed in the 2018 killing of Rising Kashmir editor in chief Shujaat Bukhari and his two police bodyguards.

Threat to RTI activist

NHRC seeks ATR from Kendrapada SP

PNS ■ KENDRAPADA

The National Human Rights Commission (NHRC) sought for an Action Taken Report (ATR) within four weeks from the SP of Kendrapada over a complaint lodged on January 11 before NHRC alleging that RTI activist Amitabh Chand was allegedly under life threat from a family as he exposed corruption.

Acting on the complaint filed by RTI activist Akhand of Pipili area, the NHRC passed the order. The complainant alleged that the victim RTI activist Amitabh Chand had

exposed corruption through RTI. He exposed that about four persons of a family have got Government jobs by submitting false caste certificates to the authorities.

This case is being inquired by Revenue and police authorities and there are chances that these people may harm the RTI activist as they have been exposed.

Therefore, these family members are making conspiracy to attack and kill Amitabh Chand by engaging supari killer. In this regard, a written complaint dated on January 2 was sent to Jamboo Marine police station in Kendrapada

district to take appropriate action and to ensure safety and security of the whistle blower. The complainant requested the Commission to take cognizance in the matter and to take necessary steps for safety and security of this HRD and his family members.

Acting on the petition, the NHRC directed the SP of Kendrapada to enquire the allegations and submit an action taken report in the matter within four weeks. Even, it was directed by the NHRC to ensure safety, security and integrity of the RTI activist Chand and his family members.